

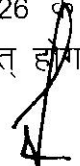
बिहार सरकार
परिवहन विभाग
:: आदेश ::

सं०सं०-०५/स्था० (विविध)-१६/२०२३ ७९५०

/पटना दिनांक:- १८/०९/२६

परिवहन विभाग के आदेश सं०-१११०, दिनांक-१०.०२.२०२६ द्वारा परिवहन विभाग (मुख्यालय) बिहार, पटना में प्रतिनियुक्त डाटा इंट्री ऑपरेटर (आदेश के क्रम सं०-३, ४, ५, ८, ९ एवं ११) को तत्काल के प्रभाव से पूर्व में प्रतिनियुक्त जिला परिवहन जिला कार्यालय में योगदान देने हेतु विरमित किया जाता है।

- परिवहन विभाग के आदेश सं०-१११०, दिनांक-१०.०२.२०२६ के क्रम सं०-२ पर अंकित डाटा इंट्री ऑपरेटर को जिला परिवहन कार्यालय, पूर्णियाँ में प्रतिनियुक्त किया जाता है।
- संबंधित डाटा इंट्री ऑपरेटर अपने पूर्व प्रतिनियुक्त कार्यालय में एक सप्ताह के अन्दर अपना योगदान समर्पित करना सुनिश्चित करेंगे। माह सितम्बर, २०२६ के वेतनादि का भुगतान उनके पूर्व प्रतिनियुक्त कार्यालय में योगदान करने के पश्चात् होगा।
- उपर्युक्त में सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।


१८/०९/२६

सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक- ७९५०

/पटना दिनांक- १८/०९/२६

प्रतिलिपि:-प्रबंध निदेशक, बेल्ट्रॉन/सचिव, परिवहन विभाग के आप्त सचिव/राज्य परिवहन आयुक्त, बिहार, के आप्त सचिव/विभाग के सभी पदाधिकारी/संबंधित जिला पदाधिकारी/संबंधित संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार/संबंधित जिला परिवहन पदाधिकारी/संबंधित डाटा इंट्री ऑपरेटर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


१८/०९/२६

सरकार के उप सचिव।